



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD
कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद
Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad
दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel.: (079) 26941707, PIN: 380015
E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

No.CC-1/ABD/HQ/17(2)/HSSH/05/2022-23

129

दिनांक: 29/12/2022

विषय: आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन हेल्थ वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल(हेल्थ वन न्यूरो वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) ब्लॉक-सी, भूमितल से 8वें तल तक, शिलाज सर्कल के पास, शिलाज, अहमदाबाद-(PAN: AAOCA2699A) को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में--

Sub. : Approval under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Health1 Super Specialty Hospital (A unit of Health1 Neuro1 Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.) situated at Block C, GF to 8th Floor, Nr. Shilaj Circle, Shilaj, Ahmedabad(PAN: AAFCH8691E) – reg.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)के अधीनअनुमोदन/Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

हेल्थ वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल(हेल्थ वन न्यूरो वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) ब्लॉक-सी, भूमितल से 8वें तल तक, शिलाज सर्कल के पास, शिलाज, अहमदाबाद को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income-tax Act,1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules,1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Health1 Super Specialty Hospital (A unit of Health1 Neuro1 Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.) situated at Block C, GF to 8th Floor, Nr. Shilaj Circle, Shilaj, Ahmedabad

2. तदानुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15,16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए

उप आयकर आयुक्त (महोदय), अहमदाबाद	संबंधित अपर आयकर आयुक्त (न्यायिक)
आयकर आयुक्त (अवकाश), अहमदाबाद	आयकर आयुक्त (अवकाश), अहमदाबाद
आयकर आयुक्त (अवकाश), अहमदाबाद	आयकर आयुक्त (अवकाश), अहमदाबाद
समाशासन प्रदाता	अपर आयकर आयुक्त (सी.ओ.)



1 | Page

प्रति लिपिक/RECEIPT CLERK
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
Principal Chief Commissioner of Income-Tax
03 JAN 2023
D8234
गुजरात, अहमदाबाद
GUJARAT, AHMEDABAD

अपर आयकर आयुक्त (नर्सव्यो)(समान्वय)
कार्यालय: अहमदाबाद, अ'बाद
04 JAN 2023
प्राप्त दिनांक
क्रमांक

R. Shau
04.01.2023

आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment or any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules,1962,shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15,16 and 17 of the Income tax Act,1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act,1961 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of sub clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government of the Principal Chief Commissioner of Income tax, Gujarat or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख 29/12/2022 से 28/12/2025 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of Three years from 29/12/2022 to 28/12/2025 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A (2) of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(a) The approval is not transferable,

(ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।

(b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन



अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।

(C) The hospital shall confirm to such conditions as are prescribed under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of sub clause (2) of section 17 of the Income tax Rules, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rule, 1962. In the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

(घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(d) The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

Sd/-

(राजेश कुमार सिन्हा)

(RAJESH KUMAR SINHA)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, हेल्थ वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल(हेल्थ वन न्यूरो वन सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई) ब्लॉक-सी, भूमितल से 8वें तल तक, शिलाज सर्कल के पास, शिलाज, अहमदाबाद

The Director, Health1 Super Specialty Hospital (A unit of Health1 Neuro1 Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.) situated at Block C, GF to 8th Floor, Nr. Shilaj Circle, Shilaj, Ahmedabad

Copy To/प्रतिलिपि:-

1. प्रधानमुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद ।
Pr.Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
2. प्र. आयकर आयुक्त - 1/3, अहमदाबाद
(2) Principal Commissioners of Income tax - 1/3, Ahmedabad
3. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2(1), अहमदाबाद।
(3) The Addl. CIT. Range-2(1), Ahmedabad.
4. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल- 2(1)(1), अहमदाबाद
(4) The Assistant Commissioner of Income Tax-2(1)(1), Ahmedabad
5. Guard File
- (5) गार्ड फाईल

रंजीत 29.12.22

(रंजीत एम साह) (Ranjit M Sah)

सहायक आयकर आयुक्त, (मुख्या.)-1/ACIT(HQ)-1,

कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1/for Chief Commissioner of Income-tax-1, Ahmedabad

